



2026 : AHC : 51861

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 6990 वर्ष 2026**

राम सुरेश

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता : मनोज यादव

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया**

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी/ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. पी. शुक्ला को सुना गया।
2. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2-अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), जिला आजमगढ़ द्वारा वाद संख्या 271 वर्ष 2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202315060000271) में पारित विवादित आदेश दिनांक 07.12.2023, और प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, तहसील-फूलपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा वाद संख्या 1547 वर्ष 2016 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या T20161506031547) में पारित आदेश दिनांक 03.12.2022 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।
3. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याची के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह दिया गया है कि उपरोक्त आदेश '**ऋषिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**' [2023 (1) एडीजे 154] के मामले में निर्धारित पैरा-74 की प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए गए थे, इसलिए वे निरस्त किए जाने योग्य हैं। यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत भी पूर्ण प्रक्रिया प्रदान की गई है, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया था, जो कि स्वयं विवादित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है।

4. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
5. इसी के दृष्टिगत, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2-अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), जिला आजमगढ़ द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 07.12.2023 और प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, तहसील-फूलपुर, जिला आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2022, 'ऋषिपाल' (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, अतः वे रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह चार महीने के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से नया आदेश पारित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।